

अनुसूची 14 - फारम सं० 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
------------------------------	--------------------------------	---

24  
29.08.2023

न्यायालय उपायुक्त, राँची  
जे० बी० सी० अपील वाद सं० 66 आर० 15/2020-21  
कुमार रणजीत, पिता स्व० काली प्रसाद राय निवासी ग्राम सीन्नापा,  
थाना-राजपुर, जिला-बक्सर (बिहार) वर्तमान निवासी केयर ऑफ डॉ०  
बी० डी० चौधरी, सी०/24, ऐश्वर्या रेसिडेन्सी, इलाही नगर, पुन्दाग,  
थाना-पुन्दाग, जिला-राँची ..... अपीलकर्ता

बनाम

डॉ० ब्रह्मदेव चौधरी, पे० स्व० पी० चौधरी, निवासी क्वार्टर  
नं०-डी०/17, ऑफिसर कॉलोनी, डकरा, थाना-खलारी, जिला-राँची  
..... उत्तरवादी

आदेश

प्रस्तुत अपील अपीलकर्ता ने भवन नियंत्रक -सह-अनुमण्डल  
दण्डाधिकारी, सदर, राँची के द्वारा जे० बी० सी० वाद सं० 02/2019 मे  
दिनांक 20.01.2020 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है,  
जिसके तहत विद्वान भवन नियंत्रक के द्वारा उत्तरवादी द्वारा धारा-19  
(1) (सी०) (डी०) (ई०) के तहत मौजा पुन्दाग के खाता सं० 181, प्लॉट  
सं० 850 मे स्थित मकान सं० सी०/24, ऐश्वर्या रेसिडेन्सी स्थित परिसर  
से अपीलकर्ता के निष्कासन एवं कुल बकाया किराया रू० 3,59,000/-  
(रूपया तीन लाख उनसठ हजार) मात्र का एकमुश्त भुगतान करने का  
आदेश पारित किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलकर्ता विगत  
कई तिथियों से लगातार इस अपील वाद मे उपस्थित नही हो रहे है।

अनुसूची 14 - फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
------------------------------	--------------------------------	---

1

2

3


2

पुनः आज भी पुकार पर अनुपस्थित पाये गये। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें अब इस अपील वाद के निष्पादन हेतु कोई अभिरुचि नहीं रह गया है। अतः प्रस्तुत अपील वाद की कार्रवाई उचित पैरवी के अभाव में समाप्त की जाती है।

इस आदेश की प्रति भवन नियंत्रक-सह-अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

  
उपायुक्त  
राँची

लेखापित एवं संशोधित

  
उपायुक्त  
राँची